बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सूचना

सेवा निवृत प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक की संविदा पर नियुक्ति:-

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र सं0 556 दिनांक 19.02.2008 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के सूचना सह जन शिकायत कोषांग, पटना में सृजित प्रशाखा पदाधिकारी के एक पद पर बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को संविदा के आधार पर निम्न शर्तों के तहत नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है:

(i) संविदा के आधार पर नियुक्ति 1 (एक) वर्ष के लिए होगी ।

(ii) विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होगी । अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। चयन हेतु आवेदन के साथ सेवानिवृत प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक के सेवाकाल का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा । (हाल में सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को चयन में अधिमानता दी जायेगी ।

(iii) चयनित व्यक्ति को सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन से पेंशन की राशि को घटाकर शेष राशि पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में भुगतेय होगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिमाह 10,000/ (दस हजार रूपये) होगी ।

(iv) अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।

(v) अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नही होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वत: समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(vi) संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी ।

(vii) इच्छुक सेवानिवृत पदाधिकारी पूर्ण विवरण के साथ अपना आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से अवर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना को भेजेंगे।

(viii) आवेदन दिनांक 31.05.2013 के अपराह्न 05:00 बजे तक विभाग में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. ग्रामीण विकास विभाग के वेबसाईट rdd.bih.nic.in पर भी इस सूचना को देखा जा सकता है।

(महेन्द्र भगत)
सरकार के उप सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना ।

पी.आर.-2240 (ग्रा.वि.) 13-14

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें